



# JHARKHAND STATE PARAMEDICAL COUNCIL, RANCHI

Performa- RF 1

## **Registration Application Form**

(Please fill up the form in Capital Block Letter)

To

The Registrar,  
Jharkhand State Paramedical Council,  
RIMS Campus (PSM Dept.), Ranchi-09

**For Office Use Only**

Serial No.&Date : ...../.....

Sir,

With due respect, I have passed (Course Name) .....  
from (Institute Name & Address) .....

in ..... (Exam Term). I would like to enrol in Jharkhand State Paramedical Council, Ranchi. For above, I 'herewith' am enclosing required documents and Demand draft. Hence, I am kindly requesting you to enrol me to the Council.

### **Payment -Details:**

SBI Collect Ref. No.- .....

Amount (Rs.).....

Date: .....

Name of the Candidate.....

Present Address: .....

Permanent Address: .....

Mobile No.:.....Email-ID: .....Aadhaar No.....

**List of Enclosure:** 1) Attested Photocopy of Matriculation

2) Attested Photocopy of Admit Card

3) Attested Photocopy of Marks- sheet

4) Attested Photocopy of Passing Cert.

5) Attested Photocopy of Certificate issued by any other competent authority

(Mandatory)

7) 2 Color photo & 2 Applicant's Signature  
(Duly attested by Principal/Course co-ordinator/  
Director of the Institute/College)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Faithfully,

Applicant's Signature

## निबन्धन हेतु दिशा-निर्देश :

1. निबन्धन हेतु निर्धारित शुल्क **ONLINE PAYMENT – SBI COLLECT** के माध्यम से होगा ।
2. निबन्धन / माइग्रेशन प्रमाणपत्र / विलम्ब शुल्क (निबन्धन) केवल **ONLINE PAYMENT** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा ।
3. आवेदक का फोटोग्राफ आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि से छः माह के अन्दर का होना चाहिए एवं फोटो पर आवेदक का नाम अंकित होना चाहिए ।
4. निबन्धन/माइग्रेशन प्रमाणपत्र आवेदन परिषद् कार्यालय में जमा के समय डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता कम से कम दो माह शेष होना अनिवार्य है ।
5. निबन्धन आवेदन के साथ संलग्न अभिप्रमाणित प्रपत्रों की वैधता तीन माह तक ही मानी जाएगी ।
6. निबन्धन एवं माइग्रेशन प्रमाणपत्र हेतु शुल्क विवरणी:
  - For G.P.I., RIMS, Ranchi/PMCH,Dhanbad/ MGM. Jamshedpur, Sadar Hospitals - Rs. 1500/-
  - For Other institutes within Jharkhand State (except above) - Rs. 1500/-
  - For institutes outside Jharkhand - Rs. 3000/-
7. झारखण्ड से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के निबन्धन हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश:
  - सम्बंधित राज्य के पारामेडिकल परिषद् से निर्गत निबन्धन प्रमाणपत्र
  - No Objection Certificate प्रमाणपत्र (सम्बंधित राज्य सरकार/पारामेडिकल परिषद्)
8. आवेदक निबन्धन-आवेदन प्रपत्र जमा करने से पूर्व उपरोक्त निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझलें ।  
अपूर्ण/अधूरा/निबन्धन नियमों के विरुद्ध प्राप्त निबन्धन आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा ।